न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.
केम्प–बागुण्ड

प्रकरण संख्या–1972/2016 दिनांक 18–05–2018

उनवान

श्रीमति नन्दू बाई पत्नि रामलाल गुर्जर वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर

..............प्रार्थीया

।। बनाम ।।

1. भैरूलाल पिता रूपा गर्जर वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
2. रामेश्वरलाल पिता हीरा गुर्जर वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
3. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1.श्री सूरपालसिहं पंवार वकील प्रार्थी
2. तहसीलदार भदेसर

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थीया के स्वामित्व , आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम कुरेठा प0ह0 बागुण्ड में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 130 में अंकित आराजी 617/63, 618/63 दर्ज रेकार्ड है ताईद में जमाबन्दी साबिक व नवीन जमाबन्दी 2071 से 2074 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है ।

2. यह कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात पर साबिक रिकार्ड अनुसार काबिज है लेकिन भूप्रबन्ध अधिकारीयो ने नवीन खाता संख्या 145 में अंकित आ0न0 318 पर विपक्षीगण को नक्शें एवं जमाबन्दी में दर्शाया गया है जबकि प्रार्थीया स्वयं आराजी संख्या 318 पर काबिज है जबकि नवीन नक्शा एवं जमाबन्दी में प्रार्थीया को आराजी संख्या 317 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

18/5/18

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

प्रार्थीया मय परिवार के निवासरत है तथा आराजी नम्बर 317 एवं 318 दोनों आराजी नम्बर के साबिक नम्बर 63 ही है प्रार्थीया के नाम आराजी नम्बर 318 दर्ज किया जाना उचित है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी एवं पैराकार सरकार तहसीलदार भदेसर की अभिशंषा एवं पक्षकारान् की सहमति से प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार भूप्रन्धीय कार्यवाही से राजस्व रेकार्ड में त्रृटि होना प्रमाणित पाया जाता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है ।

तहसीलदार भदेसर की अनुशंषा एवं पक्षकारान की सहमति से पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में भूप्रबन्ध से हुई त्रृटि को दुरूस्त हेतु प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया नन्दूबाई पत्नि रामलाल गुर्जर के हाल खातेदारी में दर्ज मौजा कुरेठा की आराजी नम्बर 317 रकबा 0.03 हैक्टेयर के स्थान पर आराजी नम्बर आराजी नम्बर 318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है इसी प्रकार प्रार्थीया नन्दूबाई के खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः भेरूलाल पिता रूपा , रामेश्वरलाल पिता हीरा गुर्जर के खातेदारी में शुद्धि से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार राजस्व नक्शा में भी अमलदरामद किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

13/5/13

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested